THE MINISTER OF FINANCE (SHRI R. VENKATARAMAN): Mr. Deputy Speaker, with your permission, I make the following statement:

In consequence of information received by the Income-tax Department that certain persons of Jammu and Kashmir have indulged in massive tax evasion and that their unaccounted assets, books of accounts and other valuable documents were secreted in certain premises in Srinagar and elsewhere in the country, action under Section 132 of the Income-tax Act was authorised by the Director of Inspection (Investigation). It is learnt from him that to preserve secrecy, personnel from Delhi and elsewhere were deployed for the searches. The facts ascertained from him indicate that during the search of some of the premises at Srinagar, the occupants of the premises with the help of a crowd collected at these places, attacked the officers engaged in the search operations. The books of accounts which were seized during the search were snatched away. It is reported that the attack took place after Dr. Farooq Abdullah visited the premises which were being searched. During the course of the search, some cash and foreign currency have also seized.

Some of the officers conducting the search operations have been injured. The Government place on their deep sense of appreciation of the courage and devotion to duty displayed by the officers in discharging their duties even at the risk of their personal safety.

I have no doubt that all sections of the House will deplore the attack at the behest of tax-evaders on officers who were engaged in seith right to egradulity duties. During the search of the premises at Delha 6 lookers and 3 packets including a steel trunk, kept in the custodes of a Bank, were found and their operations has been restrained under Section 132(3) of the Income-

tax Act. The extent of unaccounted stock is being determined. Many incriminatory documents which show sales and expenses, not recorded in the books of account. have found.

In Bombay, large quantities curios and carpets have been found in the premises connected with these persons.

A clearer picture will emerge after the investigation is completed.

13.30 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till thirty minutes past Fourteen of the Clock

The Lok Sabha then re-assembled after Lunch at thirtyfive minutes post Fourteen of the Clock.

[SHRI CHANDRAJIT YADAV in the Chair]

DISTURBED AREAS (SPECIAL. COURTS) AMENDMENT BILL

गृह संत्री (श्री जैस सिंह): सभापति जी, इस बिल का, इंट्रोडक्शन स्टेज पर, विरोध करने के लिये 14 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है । विरोध करते हुए बहुत से माननीय सदस्यों ने एक दूसरे के नुक्ते दोहराए हैं, ग्रपनी विद्वता से बात सुनाई है मगर बात वही जो पहले कही गई, उसी को दोहराया गया । फिर भी कुछ व्वाइन्ट्स हैं जिनके सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना जरूरी है।

यह कहा गया कि 1976 का ऐक्ट इमजेंन्सी के दौरान संविधान के बार्टिकल 250 की तहत बना या और 1977 में इमर्जेन्सी खत्म होने पर यह ऐक्ट प्रपने आव खत्म हो गया था। जब इमर्जेन्सी नहीं है तो पालमन्ट को स्टेट सब्बेक्ट पर कोई लेजिस्लेशन करने का प्रधिकार अकी है। यह बापूसाहब परूलेकर जी के प्वाइन्ट उठाया था। फिर भागे यह कहा कि पब्लिक आंडर स्टेट सब्जेक्ट है भीर किसी एरिया को डिस्टब्ड एरिया घोषित करने के लिए केन्द्र को अधिकार प्राप्त नहीं है। तीसरी बात यह कि संविधान के मुताबिक भारत यूनियन आफ स्टेट है और इस तरमीमी बिल में स्टेट्स के अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। यह बात यहां पर रखी गई थी चौथे—इस बिल से जुडोशियरों के अधिकार खत्म करने का खतरा है। पांचवें—स्टेटमेन्ट आफ आबजेक्ट्स ऐन्ड रीजन्स में जो कुछ कहा गया है उसकी आलोचना की गई उसके प्रति भी मैं चाहूंगा कि दोबारा मैं कुछ न कहं।

कानूनी, सांविधानिक और नैतिक पहलुग्नों के ग्रलावा बहुत से मेम्बरों ने राजनीतिक टोका-टाकी भी की जो कि इसके साथ बिल्कुल ग्रसंगत है ग्रीर इर्रेलि-वेन्ट है। यह भी कहा गया कि इस बिल से इमर्जन्सो लाई जा रही है ग्रीर बैंक डोर में लाई जा रही है। इमर्जन्सी तो बैंक डोर में नहीं ग्रा सकती, ग्राए तो सीधे ही ग्राती है। यह कहा गया कि सरकार डिक्टेटोरियल ग्रिधिकार लेना चाहती है। एक सैम्बर ने खालिस्तान की बात का भी जिन्न किया।

चेयरमैन साहब, मैं एक एक पहलू पर बड़ें अदब से इस सदन के मेम्बरों से कहना चाहूंगा कि लेजिस्लेशन की कांपिटेन्स पार्लमेन्ट की है। जहां तक इस कानून को बनाने का सम्बन्ध है, पर्णलयामेन्ट को संविधान की धारा 246, उपधारा (2) के तहत पूरा अधिकार है। यह मामला सेविंग शेड्यूल, कान-करेन्ट लिस्ट के अधीन अगता है। इस लिस्ट की एन्ट्री नं० (2) और 11(ए) के मुताबिक पार्लिय मेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स दोनों को अधिकार दिये गये हैं।

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Dimond Harbour): Sir, I am on a point of order.

श्री जैस सिंह: मैंने श्रापको बहुत ध्यान से सुना था। No point of order. After my speech you can say something. I have listened to you.

MR. CHAIRMAN: There must be occasion for point of order. He had not said anything, when you were saying.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I am on a point of order.

MR. CHAIRMAN: Let the Minister say. Please let him reply.

श्री जैन सिंह: चयरमैंन साहब, मैंने पहले ही कहा था कि एरिया डिस्टब्र्ड हो न हो, श्री ज्योतिर्मय बसु डिस्टब्र्ड न हों।

समापति महोदय: वसु जी, श्राप पहले उनको अपनी बात कह लेने दर्जिए।

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I have a point of order.

MR. CHAIRMAN: After his speech, you can speak on your point of order. I will allow you.

श्री जैस सिंह: श्री ज्योतिमंय बसु से पहले ही मैं प्रार्थना कर चुका हूं कि डिस्टर्ब एरिया होगा या नहीं होगा, लेकिन ग्राप न डिस्टर्ब हों। दोनों को ग्रिधकार दिए गए हैं, इस संबंध में सुशाम कोर्ट ने पालियामेंट के ग्रिधकारों को जायज ठहराया है श्रीर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला—केसेज 1979, सफा—411, सुप्रीम कोर्ट में साइट किया गया है—

"The challenge to the legislative competence of Parliament to provide for the creation of special courts is devoid of substance. Entry 11(a) of the Concurrent List relates to administration of judiciary, constitution and organisation of all courts except the Supreme

Court and the High Court. By virtue of Article 246, sub-clause 2, Parliament has clearly the power to make law with respect to the constitution and organisation, that is to say, the creation and setting up of special courts. Clause 2 of the Bill is therefore within the competence of the Parliament to make."

चेयरमैन साहब, जो नुक्ता पारूलेकर जी ने उठाया और कहा कि 1976 में जो एक्ट बनाया गया था, वह धारा 250 के तहत बनाया गया था--यह गलत है। यह वह एक्ट, जिसमें आज हम अमेंडमेंट ला रहे हैं वह आर्टिकल-246 के तहत ही बनाया गया था और मैं स्राणा रखता हूं कि बापू साहव जैसा लर्नेड पर्सन, जो इस बात को ग्रच्छी तरह जानता हो, उन्होंने कमज़ोर केस की वकालत तो की, **भ्रच्छा वकील वकालत भी भ्रच्छी कर सकता** है, लेकिन केस उनका बड़ा कमजोर है. यह कहना उनके लिए स्रन्छा नहीं लगता था। मैं मशक्र हं, चेयरमैन साहब, ग्रब ग्राप चेयरमैन हैं, उस वक्त ग्राप बोल रहे थे। जब ग्राप बोल रहे थे. उस वक्त ग्रापने भी इस बात को साफ कर दिया था. लेकिन ग्रब मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। ग्रापने कहा था कि कर भी सकते हो, लेकिन इस वक्त जरूरत नहीं है, पोलिटिकली ठीक नहीं है। भार्टिकल-246 के क्लाज-2 में लिखते हैं:

"Notwithstanding anything in clause (3), Parliament, and, subject to clause (1), the Legislature of any State also have power to make laws with respect to any of the matters enumerated in List III in the Seventh Schedule (in this Constitution referred to as the Concurrent List')."

भव भ्राप भ्रन्दाजा लगा सकते हैं कि इसकी काम्पीटेन्स पालियामेन्ट को है भ्रीर यह बिल्यको उस एक्ट में भ्रमण्डमेण्ट करने के लिये लाया गया है, इसका एमर्जेन्सी के साथ कोई ताल्लक नहीं है।

मेरा ख्याल है बापूसाहेब परूलें कर जी इस बात से सन्तुष्ट हो गये होंगे. . .

श्री ज्योतिर्जय बसुः परुलेकर जी

श्री बैस सिंह: मैं कोशिश करता रहा हूं कि उन के नाम का जो प्रोननसियेशन हैं वह बिल्कुल दुक्स्त हो, मगर मैंन यह सोचकर, चेयरमैंन साहब, इस पर ध्यान देना छोड़ दिया कि उन का नाम इतना बड़ा है—हिन्दुस्तान में सब लोग जानते हैं कि सारो भाषाओं में पिता को बापू कहा जाता है और वह बापू-साहब हैं। इसिंदिये इसी से उन को सन्तोष रहना चाहिये।

कुछ मेम्बरों ने कहा कि 'पब्लिक ब्रार्डर" राज्य सरकारों के क्षेत्र में है. इसलिये किसी एरिये को डिस्टर्ब्ड घोषित करना राज्य सरकारों के ग्रधिकारों में दखल देना है । मैं बड़े ग्रदब से कहना चाहता हं कि यह "डिस्टब्र्ड एरिया" किसी ग्रौर काम के लिये नहीं है, यह केवल इस बात के लिये है कि स्पेशल कोर्ट वहां पर स्थापित करनी हो तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट भी उस एरिया को डिस्टर्न्ड एरिया करार दे सके । इसके ग्रलावा ग्रौर कोई मतलब नहीं है। यह श्रधिकार राज्य सरकारें इस्तेमाल करेंगी, उन के म्रधिकार में हम दखल नहीं देंगे, इस का फायदा यह होगा कि राज्य सरकारें इस में ढिलाई का इस्तेमाल नहीं करेंगी । जहां राज्य सरकारें डिस्टब्र्ड एरिया करार देने के बाद स्पेशल कोर्ट स्थापित कर देंगी, वहां सेन्ट्रल गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है कि वह फिर स्पेशल कोर्टके लिये कुछ कहे। इस का ग्रसर यह होगा कि राज्य सरकारें बहत जल्दी, जहां महसूस करेंगी ग्रौर जरूरत होगी वहां स्पेशल कोर्ट मुकरिर कर देंगी।

'We are unable to appreciate how the conferment of concurrent power,...

श्री रक्तीद मसूद (सहारनपुर) : किस चीज कापेज 380...(क्यवधान)...

स्थारित ग्रोद्य: प्रगर वह ईल्ड नहीं करते हैं तो दवाव नहीं डाला जा सकता।

श्री रशीद मसूदः लेकिन हम कन्फर्न करना चाहेंगे कि किस चीज का पेज 380 है।

श्री जैल सिंह: ये सुप्रीम कोर्ट केसे ज हैं।

श्रो जगयाल सिंह (हरिहार) । नाम अतलाइये किस चीज का है, कांस्टीच्यन है, ग्राइ०पो०सी० है, क्या चीज है ?

उन्हों बंद्रालय ने राज्य बंद्रों (श्री विकास महाजन): चेयरमैन साहब, गृह मंत्री जी ने बतलाया है कि ये सुत्रीम कोर्ट केसेज हैं। इस का साइटेशन है—— Supreme Court Cases Volume No. I. केस का नाम है—— Special Courts Bill, Reference 1978 से पह रहे हैं।

श्री खंल सिंह: उनका ख्याल है कि इस की व्याख्या होना जरूरी है। मेरा ख्याल है जिन लोगों ने कल बहस में हिस्सा लिया था, ये बहुत हो लायक श्रीर बहुत हो इन्टेलिजेन्ट ही। जब मैंने सुश्रीम कोर्ट का जिन्न किया है तो जाहिर है सुश्रीम कोर्ट के केनेज का हो हवाला दूंगा, कौन सा पेज है यह खुद हो ममझ लेना चाहिये, फिर भी श्राप ने कह दिया है, श्रुच्छा हुआ, इस की व्याख्या....

श्री रशोद मसूद: ग्राप को स(इट करना होगा कि कौन सापेज है, क्या केस है।

श्रो जैल सिंह: मैं इन मेम्बर साहब का बहुत यैं करुल है, इन्होंने बता दिया कि यह भी रेफर करना चाहिये था । आइन्दा के लिये सारे नाम ले लिया करूंगा धाप चिन्ता न करें। हाउस को जानकारी के लिये मैं इसको आपके सामने रखना चाहता हूं। इसमें लिखा है:

"We are unable to appreciate how the confirment of concurrent power on the Parliament in place of the exclusive power of the State with respect to the constitution courts organisation certain of of fedeprinciple form in in ralism the our Constitution has accepted and adopted it. It shall not affect the basic structure of federalism."

श्री चन्द्रजीत यादव ने कहा था कि यूनियन ग्राफ स्टेट्स के लिए, इस फैंड्रल सिस्टम के लिए यह चीज नुक्सानदेह हो सकती है। लेकिन सुग्रीम कोर्ट की यही राय है कि यह फैंड्रल सिस्टम को कोई नुक्सान नहीं करतो बल्क इससे उसमें ज्यादा मजबूती ग्राती है, स्टेट ग्रीर सैंटर के ताल्लुकात बिगड़ते नहीं हैं बल्कि सिमेंट होते हैं। दोनों ग्रापस में किसी बात को ले कर भिन्न भिन्न रायें रखते हैं, भेद रखते हैं तो यह देश की एकता के लिए दुरुस्त नहीं है।

माप मानेंगे कि लोक सना ग्रीर राज्य सभा दोनों हाउसिस की जो पार्लियामेंन्ट है, हिन्दुस्तान की जो पार्लियामेंट है वह किसी श्रीर जगह से नहीं ग्राती है। प्रान्तिक लोगों की चुनी हुई वह होती है। वही लोग ग्रा कर यहां सैट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं। चुने हुए नुमाइंदों में से जिन की नैजोरिटो होता है के तो कहें कि क्योंकि हमारी सरकार है इस वास्ते मरकज मजबूत होना चाहिये ग्रीर जो ग्रपोजीशन में बैठ जाते हैं वे कहें कि मरकज के ग्रबत्यारात ले हे चाहियें तो यह ठीक नहीं है। देश की मजबूती ग्रीर ताकत के लिये यह जकरी है कि स्टेट भी ग्रीर सैंटर भी, दोनों मजबूत रहें ताकि मुलक मजबूत रहे। मैं ग्राशा करता हूं कि ग्राप सब इस मामले पर इत्तिकाक करेंगे। जिन मानरेबल मैम्बर्स ने मालोचना की है उनहींने यह भी कहा है कि उपूडिशरी के मधिकार खत्म किए जा रहे हैं। मैं कहूं गा कि या तो उन्होंने इस बिल को समझने की कोशिश नहीं की मौर ग्रगर समझ गए हैं तो कुछ लोगों को वे मिस-गाइड करना चाहते हैं। उनको मिसगाइड नहीं करना चाहिये। उपूडिशरों के मधिकार इस में कहा भी नहीं छाने गए है। जो हमारा एस्ट है जिस का एमें ड मेंट हम करना चाहते हैं, उसके ग्रगर सेक्श ज के कोर को ग्राप गौर से देखें तो उन में साफ लिखाहुगा है:

"Special court shall consis of a single judge, who shall be appointed by these High Courts upon the request made by the State Government."

यहां पर गवनं मेंट हाई कोर्टस को रिक्वेस्ट करती है कि स्पेशल जज दे दो ता कि इस केस की सुनवाई जल्दी हो सके, और डिले हो हो। अग्यको माल्म होगा बेलची में भी बाकथा हुआ था और पिथरागांव में भी हुआ था। बेलचों के कैसिस इतने लमके कि अब तक खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन पिपरागांव में जो एक दुर्बंटना हुई उसके लिए स्वेशल कोर्ट मुकर्रर की गई। फैसला फिरभी अदालत ने करना था। लेकिन स्पेशल कोर्ट होने की वजह से उस में जल्दी हुई। उधर एवोड़ेंस खत्म नहीं हुआ और बेलची का खत्म हो गया। उधर जो मुल्जिम थे वे पकड़े नहीं गए और सरकार ने जल्दी खत्म नहीं किया।

भो राम विलास पासवान (हाजीपुर) : कफालटा में क्या हुमा ?

भी जैल सिंह: मैं पता कर लूगा।

इतके मनावा सैंट्रल गवर्न मेंट के भीर भी फायन हैं। माइनारिटोज, वीकर सैक्संज भाफ तो ताइटो, गैंड पूल्ड कास्ट्स एंड गैंड्यूल्ड ट्राइन्ज के नित काई भी घटना कहीं भी वापर जाएतो मरकजी सरकार को उस तरफ स्पेशल ध्यान देना चाहिये ग्रीर यह इस सरकार का कर्त्तं व्य है। हम यह जो तं मीम ला रहे हैं वह ग्रापने कर्त्तं व्य की पालना धरने के लिए ला रहे हैं।

भाप जानते हैं कि हमारे कास्टीट्यूशन में जो भाटींकिल 355 है, उस में यह लिखा है:

"It shall be the duty of the Union to protect every State against external aggression and internal disturbance and to ensure that the government of every State is carried on in accordance with the provisions of this Constitution."

यह डयूटी हम अगर नहीं निभाते हैं, तो हम गफनत करेंगे और हम मुजरिम समझे जाएंगे।इसलिएयह जरूरी है कि हम इन सारी बातों पर हथान रखें।

चेयरमैन साहब, इन बातों के घलाया, कांस्टीट्यूशनल प्वाइन्ट्स के प्रलावा ग्रीर बातों भी कही गई। मैं हाऊस का वक्त इस पर ज्यादा नहीं खर्च करना चाहता लेकिन मेरे दोस्त मानरेबिल श्री ज्यं तिर्मय बसु मपनी तकरीर कर गये श्रीर उनका साथ श्रीर भी दोस्तों ने दिया लेकिन एक बात समझ में नहीं म्राई कि डिसक्शन तो हो रहा है इस बिल के इन्द्रें ड्यूस होने पर ग्रीर मेरे लीव मांगने का विरोध करते हुए कहते हैं कि होम मिनिस्टर ने खालिस्तान के मूवमेंट के लीडर से खुफिया म् लाकात की । मैं पूछना चाहता हूं ग्रोनदेबिल मेम्बर से कि खालिस्तान मूवमेंट का नेता कौन है, जानते हो, मैं तो जानता नहीं ? दूसरी बात यह है, चेयरमैन साहब, आप गौर की जिए कि भारत के गृह मंत्री को किसी से छुप कर मिलने की क्या जरूरत है। मैं मिलना चाहूं,तो मिलूं ग्रीर न मिलना चाहुं, तो इन्कार करदूं, मगर यह बात सोच-समझ कर करनी चाहिए आज में कह नहीं सकता कि श्री वाजपेयी तशरीफ रखते हैं या नहीं। वाजपेयी जी ने जालन्धर में जा कर कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर से

256

रिक्वेस्ट करूगा कि वे जानकारी करें। श्रब श्राप देखिये कि भ्रपोजीशन का लीडर भीर भारतीय जनता पार्टी का प्रेसीडेंट श्रीर फिर वे विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, कोई साधारण मंत्री नहीं, उन को मालूम होना चाहिए कि यह कितने दिनों से इल्जाम लगा है और श्रव तक क्या प्रधान मंत्री जी ने इस की जानकारी नहीं की होगी ? क्या प्राइम मिनिस्टर अपने होम मिनिस्टर की तहकीकात करेंगीं। ये दोनों बातें गलत हैं तो मैं श्री ज्योतिर्मय वसु से कहूंगा कि ये इल्फाज उन को वापस ले लेने चाहिए। यह मच्छा नहीं है। एक इल्जाम लगाया है। इस से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन यह परम्परा श्रम्की नहीं है। श्राज शाम को इस हाऊस में 6 बजे सेप्रिटिस्ट ताकतों के बारे में डिसकशन होगा ग्रीर जो बातें उस में होंगीं, उन के बारे में मैं उस वक्त विस्तार पूर्वक कह गा भ्रीर इस समय मैं इस मामले पर ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हुं लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि यह बात बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद भीर झूठी है।

फिर कहा गया कि इन्दिरा गांधी तो डिक्टोरियल गवर्नमेंट चाहती हैं।

> श्री ज्योतिर्यय बस्: डिक्टेटोरिमल । श्रीजैलसिंह :डिक्टेटोरिल, तानाशाही ।

Thank you, you have corrected me.

श्री ज्योतिर्राय बसुः ग्राम बुरा मत मानिये।

SHRI ZAIL SINGH: You are a learned person.

मैंने ग्राप काश् क्रिया ग्रदा किया है कि --श्राप ने जो मेरा गलत प्रोनेन्शियेसन था, उस को दुरुस्त कर दिया।

श्री ज्योतिर्शय बसु : यह हिन्दूस्तान है । इस में प्रोन्शियसन का कोई सवाल नहीं है।

श्री जैस सिहः चैयरमँन साहब, में श्राप से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधा ने इस से पहले भी

धी ज्योतिर्गय ६सुः मृश्लदादारा रायट्स के बारे में चपचाप हैं।

भी जैल स्पृ: उस के बारे में भी वहूं गा ! वह मेरे हक में जाता है।

15 hrs.

APRIL 23, 1981

यह भी कहा गया कि कहां की स्टेट की सरकारे हैं, जो सेन्ट्रल गवर्नमेट का बहुना नहीं मानती। मैं ने इस बात की के ई शिकायत नहीं की कि स्टेट की सरकारे कहना नहीं मानती लेकिन कहीं कहीं देर लगा देती हैं और कहीं उन की मजबूरियां हैं ती हैं। जें मजबूरियां स्टेट सरकार की होती हैं, वह सेन्ट्रल गवनं मेट की नहीं होतीं। मुरादाबाद के वाकयात की जुडीशल इंक्वायरी के लिए हाई केर्ट से एक सेसन जज लिया। यहां के हाउस की यह फीलिंग्स थीं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेसन जज नहीं, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। मैंने दो-तीन महीने हो गये, स्टेट के मिनिस्टर को इस बात का मशविरादियाथा। (व्यवधान)

चेग्ररभेन सहाब ग्राप भी बहुत कोशिश करते हैं कि ज्योत्तिर्भय बसु डिस्टर्व नहों, मैं भी कोशिश करता हूं कि वे डिस्टर्ब नहीं। फिर भी वे डिस्टर्ब होते है और दूसरों को भी हिस्टर्ब करते हैं। (ब्यवजान) अगर कोई उन्हें डिस्टर्ब करता है ते इतने बड़े पालिया-मेंटेरियन को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए।

चेग्ररमेन साहब, जार्ज बर्नाड शा ने कहा था कि कुछ विद्वान लोग यह गलती करते हैं कि किसी की ग्राधी बात सुनने के बाद ही श्रपनी राय देना शुरु कर देते हैं।

चेग्ररमेनसाहब, मैं कह रहा था कि मैंने स्टेट को मशविरा दिया था और उसको स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने मान लिया था। उसकी मानने के बाद हाई कोर्ट को लिखा कि हमें एक जज दें। लेकिन हाई कोर्टका एक जस्टिस न मिलने की वजह से वहां इतनी देर हुई। यह

न हमारा कसूर है भीर न यह हमारी स्टेट क्वनमें टेका कसूर है। लेकिन मैं यह भी नहीं कहताकि यह हाई कोर्टका कसूर है।

ग्रमी ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट को, सुप्रोम कोर्ट को, उनके जस्टिस को हम लोग इंग्नोर कर रहे हैं। मैं चिनती के साथ कहता हूं कि श्रीमती इन्दिग मांघी ने 11 साल पहले हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्रों के तौर पर हकूमत की । द्धान से एक साल पहले वे दुवारा द्यायीं भ्रोर एमजैसी लगाने के बाद दुवारा धायीं। एमजेंसी के बाद यह सरकार हमारे विरोधियों के पास गयो । उस सरकार ने अपनी सारी ताकत इस बात पर लगयो कि श्रोमतो इन्दिरा गांधी, उसके परिवार ग्रीर उसके साथियों को हर तरह से बदनाम किया जाए । उनके खिलाफ जगह जगह पर कोर्ट मुकर्रर की गयीं, स्पेशन कोर्ट मुकर्रर की गयीं। यही नहीं 20 किताबें श्रोमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ छावायीं भ्रीर उनका विदेशों में प्रचार किया गया । जब इन्दिंग गांधी इलेक्ट हो कर हाउस में ग्रायीं भीर सरकार की सारी ताकत के विजाफ प्रायीं तो वह सरकार यह बात बदिम्ति नहीं कर सकी । इसी हाउस में खड़े हो कर मोरारजो भाई ने फैसजा दिश कि इन्दिरा गांधी को न सिर्फ इस इंडिस से निकाना जाए बहिक जैनखाने में भी भेजा जाए ग्रीर यह किया गया। उस वक्त इनको ज्वान कहां थी । जनता पार्टी डिक्टेंटर थी या श्रीमती इन्दिरा गांधी डिक्टेटर थीं । ग्रगर वे हिक्टोप्टर थीं तो उनके खिलाफ तमाम बेडियो, टो. वो., अखबारी स्रोर दुनिया के दूसरे मुल्कों में वहां के ग्रखबारों में सारे प्रोपेगण्डे के बावजूद इस हिन्दुस्तान के लोग फिर उन्हें कैसे ले आये ? आप मुझेयह बताओं कि ग्रगर श्रीमती इन्दिरा गांधी डिक्टेटर बनती हैं तो कौन उन्हें यह बनाता है ? लोग बनाते हैं ?

अगर श्रीमती इन्दिरा गांधी के दिमाग में डिक्टेटर बनने की बात होती तो वे उस समय जनरल इलेक्शन नहीं करातीं । उन्होंने जनरल इलेक्शन कराया और जब वे और उनकी पार्टी हार गयी तो बड़े आदर के साथ उन्होंने अवाम के, जनता के फैसले को कुबूल किया और एक डिग्निफाइड अपोजिशन में बैठ कर हमारी पार्टी ने काम किया ।

चेग्ररमेंन साहब, इसलिए यह बात कहना कि हमारी पार्टी की नेता या उनकी सरकार डिक्टेटोरियल हकुमत की तरफ बढ़ रही हैं, यह बिलकुल बेबुनियाद बात है।

15.05 hrs.

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि जो भी हम ने कदम उठाये हैं, उनके पीछे ग्रवाम की सेंक्शन है, ग्रवाम की मंजूरी है ग्रीर जनता यह चाहती है कि ये कदम उठाये जाएं।

हम देश की मजबूती के लिए बढ़ रहे हैं । माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मैं भापको यह बात बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी का मफाद या हमारा मफाद जब देश के मफाद के साथ टकराता है तो चाहे पार्टी खत्म हो जाए या हम खत्म हो जाएं, लेकिन हमारे देश पर कोई भांच नहीं भानी चाहिए । हम तो इस नियम को मानते हैं । हमारी पार्टी घतन के लिए है, हम बतन के लिए हैं, इस-लिए देश की एकता को मजबूत करने के लिए, मुल्क को मजबूत करने के लिए यदि कोई भ्रमपापुलर कदम भी उठाना पड़ता है तो हम उसको गुरेज नहीं करेंगे। 259

एक इल्लाम और लगाया गया । वह इल्लाम यह लगाया गया कि केन्द्र में जो कांग्रेस (ग्राई) की सरकार है— जिन प्रांतों में विरोधी-दलों की सरकार हैं, उन सरकारों की यह कमजोर करना चाहती है, जिन प्रांतों की यह कमजोर करना चाहती है, जिन सरकारों को यह कमजोर करना चाहती है, जिन सरकारों को छोड़कर वाकी सब जगह तो कांग्रेस (ग्राई) की सरकार है। क्या यह तरमीम वेस्ट-बंगाल और केरल में हो लागू होगी, दूसरी जगहों पर लागू नहीं होगी?

डिप्टो स्पोकर साहब, श्री चन्द्र जीत यादन तो बहुत प्रच्छा तरह से जानते हैं. मैं उत्तका बहुत ग्रदब करता हूं, मूझे उनके साथ हमदर्दी है भ्रोर मेरी प्रार्थना है कि वे तरक्की करें, उन्नति करें। जन्नो कृष्णन जो और चन्द्र जोत यादव जी को जब में तकरोग सूत रहा थाली मुझे खबाल आया कि दुनियां कैसे बदल जाती है। जब यह बिल, यह एक्ट बना तो एक्ट बनने के दक्त चन्द्र जात यादव जी सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रोमण्डल में थे भीर मैं उस बक्त मुख्य मंत्रो था ग्रीर उन्ती-क्रुष्णन जो दक्तिंग कमेटो के मेम्बर ये ग्रीर हुनारो पार्टी के मैम्बर थे ग्रोर उन्होंने राय दी थी कि यह एक्ट बनाया जाए । इनको राय थो भीर भाज ये कहते हैं कि इसमें तरमोम भी नहीं कर -सकते । मैं दोनों दोस्तों को कहंगा ग्रीर खासकर के उन्नोहरणत जी को कहूंगा, उन्होंने एक प्याइंट स्रीर कहा--वे कहने लगे कि अटार्नी-जनरल को बुलाया जाए, उनकी राय लो जाए । यहां कितने मटानी जनरल से ज्यादा पढ़े-लिखे लोग. समझदार वहाल बैठे हैं, तो उनका राथ को न्या जरुरत है--हम अपनी को राय क्यों न लें ? हां द्वार किसो प्याइंट पर जरुरत पड़ेगो तो बुला लेंगे, लेकिन इस विल के साथ विषया रिलेवसी नहीं है। इस लिए उनको नहीं बुला सकते '

डिप्टी स्पीकर साहब, इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना बरिता हूं कि इस दिता को इंट्रोडयूज बरने की इजाजन दी जाए।

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I would refer to Article 246(2).

"Notwithstanding anything in clause (3), Parliament, and, subject to clause (1)."

श्री जैल सिंह : क्लाज कॉन्सी पढ़ रेहे हैं ?

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Article 246 of the Constitution.

SHRI ZAIL SINGH: Article 246 of the Constitution, I have heard. But which clause you are referring to?

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Clause (1) and (2). (Interruptions). Giani ji....

MR. DEPUTY SPEAKER: You please address me.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Let it be conveyed through the Chair. Gianiji is the most befitting Minister of Shrimati Indira Gandhi's Government and we want him to continue with this efficiency.

I am reading Article 246 (2):-

"Notwithstanding anything in clause (3), Parliament, and, subject to clause (1), the Legislature of any State also, have power to make laws with respacet to any of the matters enumerated in List III in the Seventh Schedule."

Let us come to the Seventh Schedule; p. 347 of the Indian Constitution. We have been taken for a ride. We have got a gentleman here, former Law Minister; lat him accept or reject what I say. He has quoted from the Concurrent List, serial No. 2. It says:

"Criminal procedure, including all matters included in the Code of Criminal Procedure at the commencement of this Constitution."

How does it empower you to bring an enactment to set up special courts? I would like to be educated on that.

Now, you come to p. 348, serial No. 11A which was brought in, inserted, by the Constitution Forty-second Amendment during the era of Emergency, in 1976-77 when we were in jail. It says:

"Administration of justice; constitution and organisation of all courts, except the Supreme Court and the High Courts."

By this, the correct interpretation will become truthful, for a change, that hereby "courts" clearly means that courts as established under the ordinary law of the land. There is no mention about special courts. Therefore, your Bill suffers from inherent legislative incompetence. You have not been able to demolish the argument put forward by the Opposition spokesmen that you are competent to bring a legislation for setting up special courts. You are trying to encroach upon the States' authority and power and your attempt is political, that is, to bring "law and order" in the Concurrent List.

What about Moradabad riots? The riots had taken place in August and you gave an assurance in the winter session, in December, and on 1st April, you have replied, "No Commission has been constituted." You shed crocodile tears for Muslims. Eight months have passed. Nothing has been done. That is what your intention is. You are only wanting votes, nothing beyond that.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): Sir. the Home Minister has already read out the decision of the Supreme Court which bears on this point. I am just reading it out again for the benefit of the hon. Member. This is the same book which was quoted when the hon. Member had raised the objection. This is. 1979, Vol. I, Supreme Court Cases. I am reading out from p. 411.

It says:

"The challenge to the legislative competence of Parliament to provide for the creation of special courts is devoid of substance. Entry 11A of the Concurrent List relates to administration of justice, constitution and organisation of all courts except the Supreme Court and the High Courts. By virtue of article 246(2), the Parliament has clearly the power to make laws with respect to the constitution and organisation, that is to say the creation and setting up of special courts."

This is the answer the Supreme Court has given. This answer was given when the Janata Party was setting up special courts, to try the Prime Minister, and it was at that time that the Supreme Court gave this decision.

श्री जैल सिंह : मैं सब मेम्बरीं की बहुत अदब करता हूं। इस बिल पर, इसकी इंट्रोडक्टरी स्टेज पर कल दो घंटे से ज्यादा समय तक बहस हुई है श्रीर उस में किसी भी मैम्बर को आपने नहीं कहा बैठ जाम्रो । म्रापने बैल नहीं बजाई । खुद उनकी बैल बजती रही ग्रीर वे बैठते ग्हे । अब इतने विद्वान मैम्बर बैठें हुए हैं। ग्रगर वे बात को खत्म न करना चाहें तो न करें। एक भ्रक्लमन्द भ्रादमी इरेलेवेंट बात को भी लेरेवेंट बनाने की कोशिश करता है भीर इस काम में श्री ज्योतिर्मय बस् माहिर हैं । श्राप सोचें, किसी विद्वान ने ठीक कहा है जैसे केले के वक्ष के पात पात में पात, तैसे ही विद्वान की बात बात में बात । जिस तरह केले के वक्ष में पत्ते ही पत्ते होते हैं भौर उनको उखाड़ते जाओ, उखा-

263

APRIL 23, 1981

stage the powers under Article 355.
When he says that he relies upon Article 355, it is not correct.

इते जायो, इनके सिवा कुछ नहीं निक-लेगा उसी तरह से मैं यहां बैठे हुए विहानों और महापुरुषों से विनती करूंगा कि ग्राप बात तो करते जा सकते हैं लेकिन वह इरेलेवेंट ही होगी । ग्रब छोड़ दीजिये । फैसला तो फिर भी हाउस ने ही करना है । चित्ता बसु जैसे दानिशमन्द पर्सन, एक महान नेता जो सब के खिलाफ लड़कर फिर भी पालिया-मेंट में ग्राते हैं, उनके लिये तो शोभा नहीं देता । क्या कहेंगे ? जो कुछ कहना था कल कह लिया ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Parulekar, you have already spoken at the time of introduction. You opposed it. Have you any new points?

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri): Sir, the Hon. Home Minister has introduced two new points and I seek clarification. I am not ready to accept the Hon. Home Minister's contention that this is a very light matter and that it can be disposed of very lightly. (Interruptions.)

I never said that he said it. That is what he meant. He did not express it. He did not express what he meant.

The Hon. Home Minister referred to Article 355 and said that under those provisions they have got all the powers. I would invite your attention to Article 355 which says:

"It shall be the duty of Union to protect every State against external aggression and internal disturbance and to ensure that the Government of every State is carried on in accordance with the provisions of the Constitution."

You will find that this Article is included in Part XVIII "Emergency Provisions'. I do not know whether the Hon. Home Minister thinks that today we are living in emergency. The Government cannot invoke at this

I would ask the Home Minister whether, when there is no Emergency, still he relies on Article 355. That is one clarification I seek.

Another question is whether the Government of India and Parliament gets the power under the Seventh Schedule, clauses (2B) & (II) to declare certain areas as 'disturbed areas'. We are not only concerned with the establishment of courts. Establishment of courts can, at the most, come under the Seventh Schedule 2 or 11A. But there is no Article or Clause either in the Concurrent List or in the Central List of VII Schedule which empowers Parliament to legislate with reference to the declaration of disturbed areas of the State concerned. To that he did not give a reply. He only said that inasmuch as they want to constitute the Courts, the reason for constitution of the court is the declaration of these areas as 'disturbed areas' and, therefore, we come under (11A). I seek clarification on these two points.

श्री जैन सिंह : डिप्टी स्पीकर साहवा,
मैं इनका करीरीफिकेशन तो कर सकता
हूं, लेकिन मैं पालियामेंट में गलत परम्परा
नहीं पैदा करना चाहना । जब एक
इन्ट्रोडक्ट्री स्टेज परसब ने अपनी-अपनी
मंशा के मुनाबिक अपने आर्ग्युमेंटस
दिये और मैंने अपने आर्ग्युमेंटस दे दिये
तो यह मेरा और बापू माहब परुलेकर
के कंदीन्स होने का सामला नहीं, यह
तो अनानत है हाउम की । मगर एक
बात उनको और कहना चाहता हूं कि
इसके साथ जो एमजेंसी की बात कही
(व्यवधान) इखलाकी तौर पर चित्त बस्

AYES

जैसे नेता को तो मैं जवाब न दूं भीर इनको जवाब दे दूंतो दूसारे मेम्बर मुझ से लड़ पड़ेंगे। इसलिये मैं सब का म्रादर करता हूं, सब की इज्जत करता हूं। इसलिये श्रापसे यह रिक्वेंस्ट करुंगा कि भ्राप यह परम्परा कायम न करें, इन्ट्रो-डक्ट्रो स्टेज पर एक दफे बोलने के बाद जब मिनिस्टर का जवाब मा जाये तो ग्रापको फैसला करना चाहिये कि लीव दे सकते हैं या नहीं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Minister had clarified the position.

SEVERAL HON. MEMBERS: No. no.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Don't say that.

DEPUTY-SPEAKER: The MR. Home Minister has clarified the position. I have looked into the matter. As regards the question of legislative competence of the House, it is the accepted practice in the Lok Sabha that the Speaker does not give any ruling on the point whether the Bill is constitutionally within the legislative competence of the House or not.

It is open to Members to express their views in the matter and to address arguments for and against the laws.

Members take this aspect into consideration while voting on the motion for leave to introduce the Bill or on a subsequent motion on the Bill. I shall now put the motion to the vote of the House.

The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Disturbed Area (Special Courts) Act, 1976."

The Lok Sabha divided.

[15.25 hrs.

Division No. 15] Ahmed, Shri Kamaluddin Anuragi Shri Godil Prasad Anwar Ahmad Shri Arakal, Shri Xavier Banatwalla, Shri G. M. Bansi Lal, Shri Barot, Shri Maganbhai Barway, Shri J. C. Behera, Shri Rasabehari Bhagat, Shri H. K. L. Bhagwan Dev, Acharya Bhoi, Dr. Krupasindhu Bhuria, Shri Dileep Singh Brar, Shrimati Gurbinder Kaur Chandrakar, Shri Chandu Lal Chaturvedi, Shrimati Vidyawati Dabhi, Shri Ajitsinh Daga, Shri Mool Chand Dalbir Singh, Shri Das, Shri A.C. Dev. Shri Sontosh Mohan Dhandapani, Shri C. T. Digvijay Singh, Shri Dogra, Shri G. L. a Doongar Singh, Shri Ekka, Shri Christopher Era Anbarasu, Shri Faleiro, Shri Eduardo Gadgil Shri V.N. Gadhavi, Shri Bheravadan K. Gamit, Shri Chhitubhai Gehlot, Shri Ashok Ghorpade, Shri R. Y. Gomango, Shri Giridhar Gouzagin, Shri N. Jadeja, Shri Daulatsinhji Jaffer Sharief, Shri C.K. Jain Shri Bhiku Ram Jain, Shri Virdhi Chander Kailash Pati, Shrimati

Bui Introduced Khan, Shri Arif Mohammad Kosalaram, Shri K.T. Kunwar Ram, Shri Mahabir Prasad, Shri Mahajan, Shri Vikram Mahajan. Shri Y.S. Makwana Shri Narsinh Mallikarjun, Shri Misra, Shri Harinatha Misra, Shri Nityananda Mohite, Shri Yashawantrao Motilal Singh, Shri Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal Mundackal, Shri George Joseph Murthy, Shri M. V. Chandrashekhara Murugian Shri S. Muthu Kumaran, Shri R. Nair, Shri B. K. Namgyal, Shri P. Nandi Yellaiah, Shri Nihalsinghwala, Shri G. S. Nikhra, Shri Rameshwar Odedra, Shri Maldevji M. Panika Shri Ram Pyare Parashar, Prof. Narain Chand Patel, Shri Shantubhai Patil, Shri A.T. Patil, Shri Balasaheb Vikhe Patil, Shri Shankarrao Patil, Shri Uttamrao Patil, Shri Veerendra Patil, Shri Vijya N. Potdukhe, Shri Shantaram Qazi Saleem, Shri Quadri, Shri S. T. Raju, Shri P. V. G. Ram, Shri Ramswaroop Ran Vir Singh, Shri Rane, Shrimati Sanyogita Ranga, Prof. N. G. Rao, Shrì Jagannath Rao Shri M. Nageswara Rawat, Shri Harish Chandra Singh

Reddy, Shri K. Brahmananda Sahi, Shrimati Krishna Sahu, Shri Narayan Sahu, Shri Shiy Prasad Sait, Shri Ebrahim Sulaiman Satish Prasad Singh, Shri Scinda, Shri Madhav Rao Sethi Shri Arjun Sethi, Shri P. C. Shaktawat, Prof. Nirmala Kumari Shakyawar, Shri Nathuram Sharma, Shri Chiranji Lal Sharma, Shri Kali Charan Sharma, Shri Nand Kishore Sharma, Shri Pratap Bhanu Singh, Dr. B. N. Singh Deo, Shri K. P. Solanki, Shri Babu Lal Sparrow, Shri R. S. Sukhadia, Shri Mohan Lal Sultanpuri, Shri Krishna Dutt Tayyab Hussain, Shri Thungon, Shri P. K. Tripathi, Shri Kamalapati Vairale, Shri Madhusudan Varma, Shri Jai Ram Venkataraman, Shri R Verma, Shrimati Usha Vyas, Shri Girdhari Lal Wagh, Dr. Pratap Yazdani, Dr. Golam Zail Singh, Shri Zainul Basher, Shri

NOES

Balan, Shri A. K. Balanandan, Shri E. Barman, Shri Palas, Basu, Shri Chitta. Bhim Singh, Shri Bosu, Shri Jyotirmoy. Chandra Pal Singh, Shri Chaturbhuj, Shri Das, Shri R. P. Deo Shri V. Kishore Chandra S.

Ghosh Goswami, Shrimati Bibha Ghulam Mohammad, Shri Giri, Shri Sudhir Goyal, Shri Krishna Kumar Hannan Mohllah, Shri Jagpal Singh, Shri Khan, Shri Ghayoor Ali Kunhambu, Shri K. Kurein, Prof. P. J. Mandal, Shri Mukunda Mehta, Prof. Ajit Kumar Mhalgi, Shri R. K. Mohammed Ismail, Shri Mukherjee, Shrimati Geeta Mukherjee, Shri Samar Nihal Singh, Shri Pal, Prof. Rup Chand Parulekar, Shri Bapusaheb Paswan, Shri Ram Vilas Pathak, Shri Ananda Patnaik, Shri Biju Rajda, Shri Ratansingh Ram Kinkar, Shri Roy, Shri A. K. Roy Pradhan. Shri Amar Saha, Shri Ajit Kumar Shakya, Shri Ram Singh Shastri, Shri Ramavatar Singh, Shri B. D. Varma, Shri Ravindra Verma, Shri Chandradeo Prasad Yadav, Shri Chandrajit Yadav, Shri Vijay Kumar Zainal Abedin, Shri

MR. DEPUTY-SPEAKER: The result of the Division is....

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Sir, we do not want to be a party to this. In protest we walk out.

Shri Jyotirmoy Bosu and some other hon. Members then left the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Subject to correction, the result* of the division is:

Ayes-116

Noes-44

The motion is adopted.

The motion was adopted.

SHRI ZAIL SINGH: Sir, I introduce the Bill.

15.26 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

MR DEPUTY-SPEAKER: Now we take up the matters under Rule 377.

Shri Krishna Kumar Goyal.

SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL (Kota): Mr. Deputy Speaker, Sir...

SHRI SONTOSH MOHAN DEV Silchar): Are you not walking out?

SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL: Yes, I have walked out and I have come in again.

SHRI ANANDA GOPAL MUKHO-PADHYAY (Asansol): This is a fit case for undertiming those Members who abstain from the House while in session because they have left their place of work during the working hours without proper announcement that they are leaving.

(i) POLLUTION OF AIR AND WATER IN INDUSTRIAL TOWN OF KORA, RAJASTHAN

श्री कृष्ण कृमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के

*The following Members also recorded their votes:

Ayes: Shri Chuilamani Jena and Shri P. M. Subba, ;

Noes: Shri Devi Lal